इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2014—आश्विन 28, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

अधि. क्र. 90-एफ. 1-20-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 431 के साथ पठित धारा 427 तथा धारा 430 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगरपालिक निगम, खण्डवा, एतद्द्वारा, उक्त निगम के नगरीय क्षेत्रों में, जन निजी भागीदारी प्रणाली के अन्तर्गत जल के मापन तथा नल संयोजनों के नियमितीकरण के लिए निम्नलिखित उपविधियां बनाता है, अर्थात् :—

उपविधियां

1. (1) **संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारम्भ.**—इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम जलमापन तथा नल संयोजन का नियमितीकरण उपविधियां, 2014 है.

(2) ये उपविधियां नगरपालिक निगम, खण्डवा के क्षेत्रों में साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगी जो उक्त नगरपालिक निगम में सम्मिलित किए जाएंगे.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन उपविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);

(ख) "उपविधियों" से अभिप्रेत है, किसी रियायत की अवधि के लिए जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत जल के प्रदाय के लिए रियायत ग्राही और ग्राहक के बीच के अधिकार और कर्तव्य;

(ग) "वाणिज्यिक संयोजन" से अभिप्रेत है, किसी संस्था/ प्रोप्राइटर/ संगठन जैसे होस्टल, दुकान, थिएटर, लाण्ड्री, कम्युनिटी हाल, निजी अस्पताल, होटल, मैरिज गार्डन, शोरूम, गोदाम तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया जल का उपभोग;

(घ) ''वाणिज्यिक संचालन की तारीख'' से अभिप्रेत है, जल प्रदाय योजना के निर्माण के पश्चात् सफलतापूर्वक निरीक्षण पूरा करने की तारीख जो नगरपालिक निगम, खण्डवा द्वारा लिखित में अधिसूचित की जाएगी;

(ङ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम, खण्डवा, आयुक्त;

(च) ''सम्पर्क पाईप'' से अभिप्रेत है, घरेलू, संस्थागत, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भूमि, भवन, गार्डन अथवा उद्योग को जल प्रदाय करने के लिए पाईप लाईनों अथवा उनकी शाखाओं की प्रणाली संयोजन पाईप तथा मीटर इसमें सम्मिलित है;

(छ) ''रियायतग्रही'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम खण्डवा द्वारा प्राधिकृत प्राईवेट एजेन्सी जिसे कि करार के अनुसार नियुक्त किया गया हो;

(ज) ''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो वर्तमान में नगरपालिक निगम, खण्डवा से जल प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रही हो अथवा जो भविष्य में स्वयं के नाम से अथवा प्रबन्धक के रूप में रियायतग्राही के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे.

(झ) ''संयोजन पाईप'' से अभिप्रेत है, पाईप का वह भाग जो फेरूल को 'स्टॉप काक' से जोड़ता है;

(ञ) इन उपविधियों के प्रयोजन के लिए ''निगम'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम, खण्डवा;

(ट) ''घरेलू संयोजन'' से अभिप्रेत है, लोगों द्वारा केवल घरेलू प्रयोजनों जैसे पेय जल, खाना बनाने, नहाने, धोने, शौचालयों की सफाई व धुलाई, घरेलू बागवानी तथा पालतू जानवरों तथा व्यक्तिगत वातानुकूलन आदि आवश्यकताओं के लिए किया गया जल का उपयोग;

(ठ) ''फेरूल'' से अभिप्रेत है, मुख्य पाईप अथवा उसकी शाखाओं को संयोजन पाईप से जोड़ने वाला संयोजन पाईप का भाग;

(ड) ''औद्योगिक संयोजन'' से अभिप्रेत है, उद्योगों जैसे तेल मिलों, दाल मिलों, पेपर मिलों, आईस फैक्ट्रियों, सर्विस स्टेशनों, कर्मशालाओं, फाउन्ड्रियों, पैकिंग उद्योगों द्वारा किया जाने वाला अथवा किसी अन्य उद्योग द्वारा प्रत्यक्षत: अन्तिम उत्पाद का उत्पादन करने में अथवा उद्योगों में कार्यरत अथवा उनमें रुकने वाले लोगों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाने वाला जल का उपभोग अथवा कोई अन्य उद्योग जो उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित किया गया हो;

(ढ) ''संस्थागत संयोजन'' से अभिप्रेत है, संस्थाओं जैसे स्कूलों, महाविद्यालयों, कार्यालयों, अस्पतालों (सरकारी, अर्धसरकारी तथा निजी), धर्मार्थ न्यासों, सार्वजनिक उद्यानों तथा ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला जल का उपयोग जो लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हों;

(ण) ''मुख्य पाईप'' से अभिप्रेत है, ऐसा पाईप जो जल प्रदाय के प्रयोजन से जल संग्राहक पाईप को जोड़ता है;

(त) ''मीटर'' से अभिप्रेत है, जल की मात्रा को मापने वाला उपकरण;

(थ) ''मूल्य पुनरीक्षण समिति'' से अभिप्रेत है, 4 सदस्यों अर्थात् आयुक्त/ मुख्य लेखा अधिकारी, के एम. सी. इंजीनियर, मुख्य नगरपालिक ऑडीटर तथा रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि से मिलकर बनने वाली समिति;

(द) ''सर्विस पाईप'' से अभिप्रेत है, ऐसा पाईप जो स्टाप काक से किसी भवन, संस्था, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थान के परिसरों तथा उद्यान को जल प्रदाय करने में प्रयुक्त होता है;

(ध) ''स्टाप काक'' से अभिप्रेत है, उपभोक्ताओं के परिसरों में प्रदाय किए जाने वाले जल को नियंत्रित करने के लिए संयोजन पाईप के सिरे पर लगा हुआ उपकरण.

टिप्पणी.—उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं.

3. **रियायतग्राही के कर्तव्य.**—नगरपालिक निगम, खण्डवा उक्त अधिनियम की धारा 221 से 239 तथा धारा 241 से धारा 245 सहपठित धारा 220 की उपधारा (ग) के अधीन ये उपविधियां जारी कर रहा है. निगम, रियायतग्राही जारी कर रहा है. निगम, रियायतग्राही के साथ निम्नलिखित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने तथा जल प्रदाय के संचालन और संधारण में अपने अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रियायतग्राही के साथ करार कर रहा है, अर्थात्:—

(1) निगम, मध्यप्रदेश राजपत्र में इन उपविधियों की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, विद्यमान संयोजनों में मीटर लगाने तथा अवैध संयोजनों को नियमित करने के कार्य में रियायतग्राही तथा उसके कर्मचारिवृन्द को सहायता करेगा.

(2) निगम, रियायतग्राही को, आशयित ''वाणिज्यिक संचालन की तारीख'' को आगामी 23 वर्ष के लिए जल प्रदाय व वितरण प्रणाली सौंपेगा. उसी तारीख से, उपभोक्ताओं से मासिक आधार पर जल प्रभार वसूल करने और संग्रहीत करने का कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा. रियायत की अवधि का अवसान हो जाने के पश्चात् रियायतग्राही इस प्रणाली को अच्छी, चालू हालत में (जिसका निर्धारण निगम द्वारा गठित समिति द्वारा जिसमें रियायतग्राही का प्रतिनिधि होगा, किया जाएगा) बिना किन्हीं दायित्वों निगम को सौंपेगा.

(3) रियायतग्राही, समस्त उपभोक्ताओं को सर्विस प्लाइंट से 12 मीटर की ऊंचाई तक 24 घंटे तथा सात दिन पर्याप्त दबाव के साथ जल प्रदाय उपलब्ध कराएगा. रियायतग्राही का यह दायित्व होगा कि वह वितरण प्रणाली को इस प्रकार सुनिश्चित और संधारित करे जिससे कि उपभोक्ता को जल प्रदाय के समय कम से कम 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिल सके. आवश्यक सुधार/ परिशोधन का कार्य शिकायतकर्ता के व्यय पर शिकायत से 3 दिन के भीतर किया जाना चाहिए. निगम का यह दायित्व होगा कि वह विद्यमान पाईप लाईन को प्रतिवर्ष 1 कि.मी. तक बढ़ाए. आवश्यक पाईप निगम द्वारा प्रदाय किए जाएंगे. जोड़ने वाली सामग्री तथा मजदूरी का व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा.

(4) समस्त सम्पत्तियों में (वैयक्तिक अथवा साझेदारी वाली), वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक मीटर लग जाना चाहिए. रियायतग्राही, उपभोक्ताओं को अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पानी के मीटर की रीडिंग के अनुसार मासिक देयक देगा. जल प्रभार, अनुसूची-ट के अनुसार समय-समय पर पुनरीक्षित किए जाएंगे. देयक के अतिरिक्त, जल प्रभारों में, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट मीटर की कीमत तथा पुनर्संयोजन प्रभार सम्मिलित होंगे.

(5) सम्पूर्ण नगरपालिक निगम क्षेत्र में ''सी पी एच ई ई ओ मैनुअल आन वाटर सप्लाई एण्ड ट्रीटमेंट, मई 1999'' के अनुसार शुद्ध तथा फिल्टर किया हुआ जल प्रदाय किया जाएगा. यह जल प्रदाय आई.एस. 10500 (यथासंशोधित) में विनिर्दिष्ट गाइडलाइनों के अनुसार किया जाएगा.

(6) सम्पूर्ण वितरण प्रणाली को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है. प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता से एक ओव्हर हैण्ड ''एलीवेटेड सर्विस रिजरवायर (ई एस आर)'' हो जल प्रदाय किया जाएगा. सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र को 10 क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया जाएगा, इनमें से एक रियायतग्राही का मुख्य कार्यालय होगा. समस्त क्षेत्रों तथा मुख्य कार्यालय में शिकायतें सुनी जाएंगी और उनका निराकरण किया जाएगा. उपभोक्ताओं को यहां से देयक वितरित किए जाएंगे और जल प्रभार संग्रहीत किए जाएंगे.

(7) प्रत्येक उपभोक्ता को, उसके परिसर में जल प्रदाय के लिए निगम के साथ एक करार (उपभोक्ता करार) करना होगा. उपभोक्ता करार हस्ताक्षरित किए जाने को रियायतग्राही सुकर बनाएगा. विद्यमान वैध उपभोक्ताओं से बिना किसी फीस के करार किया जाएगा.

(8) निगम समस्त अवैध संयोजनों को वैध संयोजनों में संपरिवर्तित करेगा.

(9) रियायतग्राही को जल प्रदाय, जल प्रभारों, मीटर संस्थापन प्रभारों के संग्रहण तथा विच्छेदन का अधिकार होगा. उपरोक्त समस्त कार्य निगम के पर्यवेक्षण में किए जाएंगे.

(10) ''रियायतग्राही'' को नगरपालिक निगम, खण्डवा के क्षेत्र में जल प्रदाय करने का पूर्ण अधिकार होगा. यह करार किया जाता है कि किसी नई सुविधा के निर्माण या विद्यमान सुविधाओं की क्षमताओं में विस्तार के रूप में उसी

प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित नहीं की जाएगी. इसका यह अर्थ होगा कि निगम के भीतर जल प्रदाय तथा वितरण के लिए उसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धी सुविधा अनुज्ञात नहीं की जाएगी. निजी नलकूपों को बंद नहीं किया जाएगा. निगम अथवा रियायतग्राही द्वारा इन्हें हस्तगत नहीं किया जाएगा तथा इनके निजी मालिक अन्य लोगों को केवल घरेलू उपयोग के लिए निःशुल्क जल प्रदाय कर सकेंगे. समस्त सार्वजनिक कुंए, तालाब व हैण्ड पम्प वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चलते रहेंगे. ये सुविधाएं रियायतग्राही को नहीं सौंपी जाएंगी.

(11) रियायतग्राही द्वारा सम्पूर्ण संचालन व संधारण कार्य निगम के पर्यवेक्षण में किया जाएगा. रियायतग्राही द्वारा उपभोक्ताओं की समस्त शिकायतें दूर की जाएंगी. यदि रियायतग्राही द्वारा शिकायतें दूर नहीं की जाएं तो उन्हें निगम द्वारा दूर किया जाएगा.

(12) निगम और रियायतग्राही के बीच के "रियायतग्राही करार" की समस्त शर्तें, खण्ड और अनुसूचियां, इन उपविधियों के अधीन लागू होंगी.

(13) इस जल प्रदाय योजना में कोई गैर-राजस्व प्रणाली की व्यवस्था नहीं है. किन्तु समुचित स्थानों और समयों पर धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों के लिए निगम, जल प्रदाय की वर्तमान प्रणाली के अनुसार जल का प्रदाय करेगा. निगम, जल प्रदाय की वर्तमान प्रणाली के अनुसार उद्यानों, प्याऊ, फायर ब्रिगेड तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले शौचालयों को भी जल प्रदाय करेगा. संगठन, जल प्रदाय से संबंधित अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा निगम और रियायतग्राही उन्हें अपने अधीन नहीं करेंगे किन्तु संगठन अन्य लोगों को, किसी भी रूप में, भुगतान के आधार पर जल प्रदाय नहीं करेंगे.

(14) वाणिज्यिक संचालन की तारीख के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रारम्भ होने वाला समय, अन्तवर्ती अवधि कहलाएगी. इस समय के दौरान समस्त वैध संयोजनों में मीटर लगाए जाएंगे तथा अवैध संयोजनों को वैध किया जाएगा और उनमें मीटर लगाए जाएंगे. इस योजना में वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बारह मास तक की अवधि स्थापना अवधि कहलाएगी. इस अवधि के दौरान यह समझा जाएगा कि रियायतग्राही ने जल प्रदाय के लिए समस्त सुविधाएं स्थापित कर ली हैं.

4. (1) **निगम के मुख्य कृत्य.**—निगम, अवैध जल संयोजनों को जुर्माना लेकर नियमित करने के लिए तथा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने से 6(छह) मास की अवधि के भीतर मीटर संस्थापित करवाने के लिए एक आम माफी योजना तैयार और घोषित करेगी, यह आम माफी अवधि कहलाएगी. अन्तर्वर्ती अवधि के दौरान, मीटर संस्थापित किए जाने तक उपभोक्ता, उपविधियों में संशोधन के अनुसार फ्लेट दर से भुगतान करेंगे.

(एक) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निगम, रियायतग्राही को मीटर लगाने तथा समस्त अवैध संयोजनों को वैध बनाने में मदद करेगा. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से आवदेन लिए जाएंगे तथा करार करने की प्रक्रिया की जाएगी. फीस के साथ समस्त आवेदन निगम के कार्यालय में प्रस्तुत और जमा किए जाएंगे.

(क) निगम प्रतिमाह जल के देयक जारी करेगा.

(ख) जल संयोजन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे और निगम स्वयं इसकी अनुज्ञा मंजूर करेगा.

(ग) मीटर की कीमत तथा जल संयोजन प्रभार निगम तथा रियायतग्राही के संयुक्त खाते में जमा किए जाएंगे.

(दो) निगम, रियायतग्राही को उपभोक्ताओं की सूची उनके पते, काशन मनी तथा शेष राशि की जानकारी के साथ उपलब्ध कराएगा.

(तीन) निगम, जल संयोजनों के नियमितीकरण के लिये नोटिस जारी करने में रियायतग्राही एजेन्सी के कर्मचारिवृन्द तथा मजदूरों की मदद करेगा.

(चार) उस दशा में, जहां कि, मीटर संस्थापित किए जाने में उपभोक्ता का रियायतग्राही के कर्मचारिवृन्द तथा मजदूरों से कोई विवाद या असहमति है, उक्त विवाद को निगम दूर करेगा.

(पांच) निगम, प्रत्येक तिमाही पर, रियायतग्राही को मीटर की कीमत और संस्थापन प्रभार (अनुसूची-एक के अनुसार प्रति मीटर के लिए यथानिर्धारित) अन्तरित करेगा.

(छह) निगम, राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक जल प्रभारों के समस्त बकाया प्राप्त और संग्रहीत करेगा.

(2) **रियायतग्राही के मुख्य कृत्य.**—(एक) रियायतग्राही, राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से मीटर संस्थापित करने तथा अवैध जल संयोजनों का नियमितीकरण करने तथा उन्हें मीटर उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ करेगा.

(दो) रियायतग्राही, अपने मजदूरों व कर्मचारिवृन्द को जल संयोजनों का नियमितीकरण करने नोटिस देने तथा उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर संस्थापित करने के काम में लगाएगा.

(तीन) ऐसे उपभोक्ताओं के मामले में, जो रियायतग्राही से मीटर लगवाने में सहमत नहीं हो, वहां इस प्रक्रिया को निगम पूर्ण करेगा.

(चार) रियायतग्राही, अवैध जल संयोजनों के नियमितीकरण, उपभोक्ताओं के मीटर संस्थापन तथा शेष राशि की वसूली का अभिलेख रखेगा.

(पांच) किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में, रियायतग्राही, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक जल प्रभारों की शेष राशि की जानकारी निगम को अन्तरित करेगा.

(छह) किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्त में, रियायतग्राही, निगम को उन जल संयोजनों के देयक, जो उपभोक्ताओं के परिसरों में संस्थापित किए गए हों प्रस्तुत करेगा और उनका भुगतान भी प्राप्त करेगा तथा उसे भी निगम को प्रस्तुत करेगा.

(सात) रियायतग्राही, 10% मीटर तथा अन्य स्पेयर सामग्री आश्रय के रूप में रखेगा.

(3) **निगम तथा रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले कृत्य.**—(एक) निगम के समस्त वैध/ अवैध जल संयोजन नियमित किए जाएंगे तथा वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक मीटर संस्थापित किए जाएंगे.

(दो) इस जल प्रदाय योजना के अधीन मीटर संस्थापन और विकास का कार्य, उपभोक्ता के हित में एक साथ किए जाएंगे ताकि उपभोक्ता मीटर संस्थापित करवाने में रूचि ले सकें. इस कार्य प्रणाली के लिए निगम तथा रियायतग्राही क्रमशः सहमत होंगे.

स्पष्टीकरण.—इस प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दो क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जिसमें अधिकतम मीटर संयोजन संसिति किए जाएंगे किन्तु जल प्रदाय की मात्रा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

(तीन) संचालन की अवधि पूर्ण हो जाने से वाणिज्यिक संचालन की तारीख तक, उपभोक्ताओं द्वारा किए गए भुगतान से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा निगम को अग्रेषित व संदत्त की जाएगी. निगम, मीटर लगाने की राशि साथ ही साथ बकाया राशि रियायतग्राही को भुगतान करेगा.

5. **अनुसूची-एक (संशोधित) प्रभारों की वसूली तथा जल प्रभार.**—जल प्रदाय संयोजन के लिए उपभोक्ता प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन—

(1) कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन निगम के कार्यालय में, स्थायी/ नए अस्थायी जल संयोजन के लिए अथवा वर्तमान जल संयोजन के अंतरण के लिए अथवा जल संयोजन में किसी परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) आवेदन-पत्र भूमिस्वामी अथवा भवन के मालिक को अथवा उक्त प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किए गए किसी समकक्ष अभिकर्ता को दिया जाएगा और भूमिस्वामी अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

भूमिस्वामी अथवा भवन के मालिक को अद्यतन किए गए ऐसे दस्तावेज संलग्न करना होंगे. जो उनके स्वामित्व का समर्थन करते हों और जिनमें सर्वे रजिस्टर, खसरा नम्बर अथवा सरकार अथवा सहायक पंजीयक का सत्यापन, रजिस्ट्रीकरण/ सरकारी पट्टा अथवा रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई करार अथवा संबंधित भूमि/ भवन के प्रमाण के रूप में विधि के किसी न्यायालय का कोई आदेश सम्मिलित है.

(3) यदि उपभोक्ता किराएदार है तो भूमिस्वामी अथवा भवन के स्वामी को निगम के समक्ष अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(4) थोक जल प्रदाय के मामले पर अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई उपविधियों तथा नियमों के उपबंधों के अधीन करार करने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

(5) जल संयोजन के विच्छेदन की दशा में उपभोक्ता भूमिस्वामी को विगत माह के जल प्रभार के भुगतान की ऐसी रसीद प्रस्तुत करना होगी जिसमें यह वर्णित हो कि शेष जल संयोजन प्रभारों वा न्यायालय को भुगतान कर दिया गया है और तत्पश्चात् किराएदार जल के पुनर्संयोजन के लिए आवेदन कर सकेगा.

(6) पुनर्संयोजन के प्रयोजन के लिए उपभोक्ता को जल के विच्छेदन को वर्णित करते हुए पन्द्रह दिन अग्रिम आवेदन करना होगा तथा चालू माह में किए गए भुगतानों की रसीदें अग्रिम प्रस्तुत करना होंगी.

(7) वर्तमान वैध जल संयोजन वाले उपभोक्ताओं को जल संयोजन के लिए किसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी और उनके करार बिना फीस लिए किए जाएंगे.

6. **नए संयोजन की वैधता का विधिमान्यकरण.**—(1) नया संयोजन मंजूर होने के पश्चात्, उपभोक्ता को ऐसी मंजूरी से तीन मास के भीतर जल संयोजन मिलेगा. यदि तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर मुख्य पाईप लाइन से जल संयोजन नहीं दिया जाता है तो उक्त मंजूरी निरस्त हो जाएगी और अवैध हो जाएगी. ऐसे मामलों में उपभोक्ता को जल संयोजन के लिए नया फार्म प्रस्तुत करना होगा.

(2) यदि किसी कारण से जल संयोजन का विच्छेदन हो जाता है तो पुनर्संयोजन के लिए निगम को, नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपभोक्ता का समस्त शेष प्रभारों का भुगतान करना होगा.

क्र. (1)	संयोजन साईज एम.एम. में (2)	विच्छेद प्रभार (रुपये) (3)	पुनर्संयोजन प्रभार (रुपये) (4)
1	15	100	200
2	20	150	300
3	25	200	400
4	40	250	500
5	50	300	600

टिप्पणी.—उपरोक्त उल्लेखित प्रभार बी.पी.एल. परिवारों के लिए आधी हो जावेगी.

(3) यदि पुनर्संयोजन की अवधि के दौरान किन्हीं कारणों से विच्छेदन हो जाता है और संबंधित उपभोक्ता द्वारा ऐसे जल संयोजन के पुनर्संयोजन के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो ऐसा जल संयोजन निरस्त हो जाएगा और काशनमनी समपहृत हो जाएगी.

7. **सर्विस कनेक्शन एवं मीटर प्रभार.**—(1) वाटर मीटर की प्रारंभिक लागत एवं सर्विस कनेक्शन प्रभार नीचे तालिका में दर्शाए गए अनुसार, उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे.

(2) ये प्रभार प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् प्राईस रिव्हयू, कमेटी द्वारा पुनरीक्षित किए जाएंगे.

अनु-क्रमांक	प्रभार	संयोजन का विवरण				
		15 मि.मी.	20 मि.मी.	25 मि.मी.	40 मि.मी.	50 मि.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सुरक्षा निधि	900	1500	2500	5000	10000
2	सर्विस कनेक्शन प्रभार फेरूल, सेडल एवं लेबर प्रभार आदि, रियायतग्राही को पुनः प्राप्त होंगे.	300	400	500	600	700
3	रियायतग्राही को वापिस प्राप्त होने वाली मीटर की लागत (मीटर एवं लेबर) (रु.).	1200	1500	1900	4200	7000
	कुल . .	2400	3400	4900	9800	17770

टिप्पणी.—सर्विस कनेक्शन की राशि बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के मामले में उपरोक्त दर्शाई गई राशि से आधी हो जाएगी.

(3) थोक उपभोक्ताओं को, जैसे कि को-आपरेटिव सोसायटी अथवा एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स के मामले में रियायतग्राही द्वारा समुचित साईज का वाटर मीटर लगाकर जल प्रदाय किया जाएगा.

(4) जिसके प्रभार पृथक से निर्धारित किए जाएंगे या उपभोक्ता अमुमोदित मानकों वाला मीटर स्वयं के व्यय पर लगाएगा. मीटर संस्थापित करने की प्रक्रिया जल मापन तथा जल संयोजन का नियमितिकरण उपविधियां, 2014 के अनुसार होगी. उपभोक्ता प्रतिभू-धन निगम कार्यालय में जमा करेगा और उसकी रसीद प्राप्त करेगा. नगरपालिक निगम को रसीद का परीक्षण करने के पश्चात् रियायतग्राही आवेदक को मीटर लगाने के लिए सूचित करेगा. मीटर संस्थापित करने के लिए मीटर का अपेक्षित मूल्य एवं मजदूरी रियायतग्राही द्वारा वहन की जावेगी जिसकी कि प्रतिपूर्ति निगम द्वारा उपरोक्त सारणी के अनुसार की जावेगी.

(5) "जलमापन एवं नल-संयोजन नियमितीकरण उपविधियां, 2014" के अनुसार की जाएगी. अवैध संयोजन की दशा में नियमितीकरण एवं मीटर लगाने की प्रक्रिया. उपभोक्ता को नए संयोजन के लिए उपविधियां, 2014 के उपबंधों के अनुसार आवेदन देना होगा. तभी अवैध संयोजन वैध किए जाएंगे और मीटर संस्थापित किए जाएंगे.

8. **झुग्गी झोपड़ियों के लिए सार्वजनिक जल संयोजन का प्रावधान.**—"वाणिज्यिक संचालन की तारीख" से समस्त सार्वजनिक जल संयोजन विच्छेदित हो जाएंगे. प्रभावित व्यक्तियों/समूहों को संयोजन लेने के लिए प्रेरित किया जावेगा. सामूहिक संयोजन एक साथ 10 मकान तक के अपार्टमेंट/किरायेदारों के लिए दिया जावेगा. इनमें से एक उपभोक्ता का चयन ग्रुप लीडर के रूप में किया जावेगा और वह मीटर संस्थापन प्रभारों एवं जल उपभोक्ता प्रभारों के लिए जवाबदार होगा. सामूहिक संयोजन के अंतर्गत समूह के सदस्यों के लिए केवल एक नल रहेगा जो कि ग्राउण्ड लेवल पर अपार्टमेंट/निवास के बाहर संस्थापित किया जाएगा और यह इस प्रकार से संस्थापित किया जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की उस नल तक पहुंच हो सके. सामूहिक संयोजन का आवेदन व्यक्तिगत संयोजन के ही समान होगा, और उससे संलग्न मानचित्र समस्त हितग्राहियों के नाम दर्शाए जाएंगे. ग्रुप लीडर, समूह के सदस्यों से समस्त बकाया राशि एकत्र करने के लिए एवं उसे रियायतग्राही को भुगतान करने के लिए जवाबदार होगा. यदि ग्रुप लीडर जल उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान करने में असफल रहता है तो व्यक्तिगत संयोजन पर लागू रीति के अनुसार ही ऐसे संयोजन का विच्छेद कर दिया जावेगा. ऐसे विच्छेदन की दशा में समूह में सम्मिलित ऐसे उपभोक्तागण नए व्यक्तिगत संयोजन लेने के पात्र नहीं रहेंगे जब तक कि पूर्व के समूह में सम्मिलित उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो. नया ग्रुप लीडर बनाया जाने का भी प्रावधान रहेगा.

9. **उपभोक्ताओं को जल संयोजन की अनुमति.**—(1) (क) सभी फिटिंग तथा सर्विस पाइप जो मुख्य पाइप से लगाये जावें तथा आवेदक के परिसरों तक समस्त कार्य आयुक्त व उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए ड्राईंग के अनुसार तथा अनुज्ञप्ति प्राप्त प्लंबर द्वारा कराए जाएंगे.

(ख) संयोजन पाईप धरातल के नीचे 45 से.मी. से कम नहीं होगा और उक्त पाईप को भवन के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए. समस्त पाईपों को इस रूप में रखा या लगाया जाएगा ताकि उस पर गर्मी का असर न हो या उपभोक्ता के पाईप एवं फिटिंग को किसी

प्रकार की क्षति न हो और मल-जल से मिल जाने का खतरा न हो अथवा जल प्रदूषण होने का खतरा न हो. इसके बार सारे पाईपों को किसी भी भवन के अंदर इस प्रकार लगाया जावेगा ताकि ड्यूटी पर मौजूद रियायतग्राही के कर्मचारियों की वहां तक पहुंच हो सके. उपयोग के पूर्व रियाययतग्राही के प्रतिनिधि एवं निगम द्वारा फिटिंग की सामग्री एवं पाईपों को मान्य कराना होगा. जल प्रदाय तब तक प्रारंभ नहीं किया जाएगा जब तक कि रियायतग्राही निगम के प्रतिनिधि एवं निगम द्वारा पाईप लाईन आदि के किए गए कार्य को अनुमोदित न कर दिया गया हो.

(ग) सर्विस पाईप में लगे समस्त कॉक एवं टेप, स्क्रू डाउन पेटर्न अनुसार होंगे और वे निगम के नियमों/उपविधियों द्वारा विहित गुणवत्ता के अनुसार होंगे.

(घ) रियायतग्राही एवं निगम के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी उपभोक्ता किसी भी पाईप या संयोजन की कोई भी फिटिंग नहीं हटाएगा, उसे परिवर्तित या विस्तारित नहीं करेगा या उसे नहीं बदलेगा.

(2) जल प्रदाय हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई भी पाईप अच्छी रीति में रखा जाएगा अथवा ऐसे स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहां से कि जल प्रदूषित हो सकता हो या जहां पाईप क्षतिग्रस्त हो सकता हो. हालांकि अपरिहार्य मामलों में ऐसे उपभोक्ताओं के पाईप बाह्य एयर टाईट व वाटर टाईट पाईप अथवा कास्ट आयरन से बने जैकेट या रियायतग्राही द्वारा अनुमोदित सामग्री का होकर समुचित लम्बाई व मजबूती का होना चाहिए और इस प्रकार के निर्माण से अन्दर के पाईप समुचित रूप से संरक्षित होना चाहिए. इसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जावेगी.

(3) (क) प्रत्येक स्थान पर विशेष संयोजन से जल प्रदाय किया जावेगा और एक से अधिक स्थानों पर जल प्रदाय हेतु एक ही संयोजन पाईप का उपयोग नहीं किया जावेगा. बशर्ते कि स्थानों के खण्ड या समूह होने की दशा में इस प्रकार के जल प्रभारों का भुगतान एक ही स्वामी द्वारा किया जावेगा. उपरोक्त स्वामी को पर्याप्त साईज का एक संयोजन पाईप बाबद् विकल्प प्राप्त होगा जो कि इस प्रकार के समूह या ब्लॉक के लिए पर्याप्त होगा और जो रियायतग्राही द्वारा अनुमोदित हो.

(ख) संयोजन पाईप में स्टाप कॉक एवं मीटर का स्थिति रियायतग्राही द्वारा सुनिश्चित की जावेगी. जो केवल संचालन द्वारा नियंत्रित होगी.

(ग) 25 एमएम या उससे ऊपर के साईज के संयोजनों हेतु विशिष्ट डिजाइन वाले स्टाप कॉक के स्पिंडल हेड के क्रच के साथ फिट किया जावेगा जो कि रियायतग्राही द्वारा रखे गए व्हील या ''की'' के अनुकूल हो. इसका अनुमोदन भी रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा.

(4) किसी भी उपभोक्ता का नल उपभोक्ता के परिसर के बाहर नहीं लगाया जावेगा. खुली नालियों के पास अथवा ऐसे स्थानों पर जहां खरतनाक गैस उत्पन्न हो सकती हो, कोई भी नल नहीं लगाया जावेगा. किसी भी टैंक या जलाशय में कोई भी नल या कॉक नहीं लगाया जावेगा अथवा उक्त टैंक या जलाशय के कंटेनर के किसी भी हिस्से में संयोजन पाईप से साईफन बेक का कार्य नहीं किया जावेगा.

(5) जो उपभोक्ता उपविधियों के उपबन्धों को भंग करेगा उसे रियायतग्राही एवं निगम को व्ययों की प्रतिपूर्ति करना होगी. इसमें असफल रहने पर उपभोक्ता को बिना नोटिस दिए, संयोजन विच्छेद कर दिया जाएगा.

(6) स्टॉप कॉक या मीटर तक लीकेज या बिना स्टॉफ कॉक के लीकेज के व्ययों को रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा. किन्तु इस पाईन्ट के ऊपर के लीकेज के व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे. यदि इस पाईन्ट के ऊपर के लीकेज को हटाने में उपभोक्ता असफल रहता है तो रियायतग्राही एवं निगम को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता के व्यय पर इस गडबड़ी को दूर करे.

10. **नए कनेक्शन हेतु रोड कटिंग.**—(1) उपभोक्ता को या उपभोक्ताओं के समूह को संयोजन की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग से रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त करनी होगी. वह ऐसे विभाग/ प्राधिकारी को रोड कटिंग बाबद् निर्धारित शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा. पाईपों के पूर्व एवं मुख्य संयोजन के पहले इस प्रकार की रोड कटिंग की अनुमति रियायतग्राही एवं निगम को लिखित में प्रस्तुत की जावेगी.

(2) **अनधिकृत उपयोग बाबद् शुल्क.**—जल का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिस हेतु संयोजन दिया गया है यदि कोई उपभोक्ता संयोजन में दिये गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए जल का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसे दुरुपयोग किए गए जल की मात्रा का दोगुना प्रभार जमा करना होगा.

(3) **ओवर हेड टेंक में उपभोक्ता द्वारा वाटर पंपिंग प्रतिबंध.**—रियायतग्राही समुचित दबाव के साथ जल प्रदाय करेगा. कोई भी उपभोक्ता ओवर हेड टेंक में जल संयोजन से सीधे पम्प द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जल प्रदाय नहीं करेगा. यदि यथास्थिति उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं का समूह अथवा स्वामी यदि वे चाहें तो अपने खर्च से ग्राउंड लेवल पर सम्पटैंक की निर्माण की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि ओवर हेड टेंक तक जल लिफ्ट किया जा सके. यह सारी व्यवस्थाएं उपभोक्ता द्वारा निगम द्वारा दिए गए मुख्य ग्राउंड लेवल से जल प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की जावेगी.

किसी भी दशा में निगम के स्वामित्व वाली पाइप लाईन से अथवा उपभोक्ता की पाईप लाईन के संयोजन से सीधे जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.

(4) **अवशिष्ट जल का समुचित निपटारा.**—उपभोक्ता अथवा स्वामी या उपभोक्ताओं का समूह उनके संयोजन से जल का उपयोग करने के पश्चात् अवशिष्ट जल के निपटारे की समुचित व्यवस्था करेंगे. उपभोक्ता या स्वामी या उपभोक्ताओं के समूह निगम द्वारा विरचित किए गए नियमों के अन्तर्गत यह कार्य करने के लिए बाध्य होंगे.

(5) **मीटर का संस्थापन.**—(एक) उपभोक्ता द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ संलग्न ड्राईंग में दर्शाई गई साईट/ स्थान पर मीटर संस्थापित किया जाएगा एवं उपभोक्ता मीटर की सुरक्षा, चोरी, क्षति, दुरूपयोग के लिए उत्तरदायी होगा. रियायतग्राही द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद सात दिन में वह ऐसा करने में असफल रहता है तो रियायतग्राही उपभोक्ता के व्यय पर जोखिम से मीटर, चेम्बर एवं फिटिंग को सुरक्षित रखेगा.

(दो) यदि मीटर खराब हो जाता है तो रियायतग्राही इसे या तो नए मीटर अथवा रियायतग्राही के वर्कशाप में दुरूस्त मीटर से बदल देगा. उपभोक्ता द्वारा दिए गए नोटिस की तारीख से 15 दिन के अंदर वर्कशॉप में उस मीटर का टेस्ट कराया जाएगा.

(तीन) संस्थापित किए जाने वाले/ बदले जाने वाले मीटर इस शिड्यूल में दिए गए मानकों एवं विशिष्टताओं के अनुसार होंगे.

(चार) मीटर इस प्रकार से संस्थापित किए जाएंगे कि उनमें हमेशा पानी भरा रहे और उनमें से पानी का आंशिक प्रवाह न हो.

11. **मीटर के मानक एवं गुणवत्ता.**—मीटर के मानक निम्नानुसार होंगे:—

(एक) ई ई सी (यूरोपियन एकॉनॉमिक कम्यूनिटी) मार्कड/ एप्रुड इनफेरेंशियल मल्टी-जेट, स्ट्रेट रीडिंग ड्राय डायल वाटर मीटर, विथ मेग्नेटिक ड्राईव ऑफ क्लाथ बी.—

(क) नॉन रिटर्न वाल्व के साथ

(ख) वायरलेस माडम के जरिए रिट्रोफिटिंग ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग इन्टरफेस सुविधा के साथ

(दो) मीटर को निम्नलिखित मानकों वाला होना चाहिए:—

IS-779/94 तथा ISO-4064

(तीन) एक प्रोजेक्ट ऐरिया में दो से अधिक प्रकार या ब्राण्ड के मीटर नहीं लगाए जा सकेंगे. मीटर सप्लायर्स को मीटर रिपेयर के लिए एक वर्कशाप स्थापित करना होगी.

(चार) रियायतग्राही के पास रिपेयर के प्रयोजन के लिए हेतु स्पेयर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए.

(पांच) मीटर के प्रकार तथा ब्राण्ड को अन्तिम रूप दिए जाने के पूर्व रियायतग्राही को मीटर टेस्टिंग हेतु फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई/ सीडब्ल्यूपीआरएस से टाईप टेस्ट एवं लाईफ टेस्ट एक्सेलेरेटेड इन्ड्यूरेंस टेस्ट) आई एस ओ-779/94 की आवश्यकताओं के अनुरूप कराना होंगे. निगम इंजीनियर द्वारा सेंपल परीक्षण हेतु रेंडम टेस्टिंग प्रक्रिया अपनाई जावेगी. शेष मीटरों के परीक्षण हेतु निर्माताओं से परीक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे.

(छह) रिपेयर के पश्चात् ऐसे प्रत्येक मीटर के लिए मापने की सटीकता हेतु एफसीआरआई/ सीडल्यूपीआरएस सीटीज में मीटर का उपयोग होगा. समस्त परीक्षण सुविधाएं स्वयं ही स्थापित की जावेंगी.

12. **मीटर खराब हो जाने पर की जाने वाली कार्रवाई.**—(एक) उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर रियायतग्राही का प्रतिनिधि संयोजन वाले स्थान पर समस्त स्पेयर एवं टेस्टेड मीटर के साथ जाएगा और वह वहां से दोषपूर्ण मीटर निकाल कर उसके बदले में टेस्ट किया हुआ मीटर लगाएगा.

(दो) नियमित मीटर रीडिंग के समय अथवा रूटीन निरीक्षण के दौरान यदि रियायतग्राही का कोई प्रतिनिधि या निगम का प्रतिनिधि यदि मीटर में कोई दोष पाता है तो उपरोक्त कंडिका (एक) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा.

(तीन) असामान्य/ सबनार्मल रीडिंग के संबंध में शिकायत को, दोषपूर्ण मीटर के रूप में लिया जावेगा और उसे उपरोक्तानुसार बदला जावेगा.

(चार) यदि परीक्षण करने पर मीटर खराब निकलता है तो पिछली रीडिंग से प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान जल उपभोग की मात्रा गत रीडिंग के दिनांक से जब मीटर ठीक कर लगाया गया अथवा नया मीटर लगाया गया तब तक की गणना पर अधिकतम मात्रा की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(क) मीटर द्वारा रिकार्डेट वास्तविक जल उपयोग की खपता यदि परीक्षण पर पाया जाए जिसमें कि 5 प्रतिशत तक स्लो या फास्ट शामिल है;

(ख) ठीक दो माह पहले अथवा उसके बाद की अवधि की वास्तविक रीडिंग के औसत पर.

(पांच) निम्नांकित परिस्थितियों में मीटर खराब समझा जावेगा, अर्थात् :—

(क) यदि परीक्षण करने पर वह 5 प्रतिशत से अधिक फास्ट या स्लो पाया जाए.

(ख) यदि निरीक्षण के दौरान इसे क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ किया गया पाया जाए.

(ग) यदि उसमें से निकले पानी के उपभोग को रजिस्टर नहीं किया जा सके.

(घ) यदि मीटर द्वारा पानी की खपत की रीडिंग में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि हो.

13. **मीटर का परीक्षण.**—(एक) मीटर की रिपेयरिंग व परीक्षण के लिए रियायतग्राही एक वर्कशॉप स्थापित करेगा एवं उसमें स्पेयचर पार्टस का पर्याप्त स्टॉक रखेगा. यदि मीटर संस्थापित कर दिए जाने के पश्चात् किसी भी समय उपभोक्ता यह चाहे कि उसके कनेक्शन में मीटर का लगी हुई स्थिति में परीक्षण किया जाए तो वह लिखित में रियायतग्राही को एक आवेदन देगा और एडवांस में निर्धारित टेस्टिंग फीस जमा करेगा जो कि निम्नांकित तालिका में दी गई है. रियायतग्राही के वर्कशॉप पर मीटर टेस्टिंग के पश्चात् यदि यह पाया जाए कि वह सामान्य से 5 प्रतिशत से अधिक फास्ट है तो उपभोक्ता को डिपाजिट राशि या टेस्टिंग फीस वापस कर दी जावेगी एवं ठीक किए हुए मीटर से उस दिनांक से, जब उपभोक्ता द्वारा लिखित शिकायत की गई हो, रिकार्ड किए गए उपभोग के आधार पर वाटर बिल संशोधित किए जाएंगे और अगले बिल के समायोजन बावत् उपभोक्ता के नाम से आधिक्य वाले वाटर बिल

अथवा क्रेडिट को रिकार्ड किया जाएगा. किन्तु यदि मीटर 5 प्रतिशत की लीमिट में फास्ट या स्लो पाया जाता है तो टेस्टिंग फीस समपहृत हो जावेगी. वाटर मीटर टेस्टिंग की फीस निम्नानुसार होगी:—

सारणी

सरल क्रमांक	संयोजन की साईज एम.एम. में	परीक्षण एवं संस्थापन फीस
1.	15	50
2.	20	75
3.	25	100
4.	40	125
5.	50	150

टिप्पणी.—वाटर मीटर परीक्षण की फीस में प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

(दो) यदि रियायतग्राही को यह विश्वास करने का कारण है कि मीटर स्लो चल रहा है तो रियायतग्राही उसके वर्कशॉप में मीटर परीक्षण करा सकेगा. यदि मीटर में उपभोक्ता द्वारा छेड़छाड़ की गई हो तो उपभोक्ता से मीटर सुधारने की कीमत वसूलने का अधिकार रियायतग्राही को होगा.

(तीन) रियायतग्राही अपने खर्च से प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् प्रत्येक मीटर की सर्विसिंग करेगा.

14. **मीटर का क्षतिग्रस्त होना और चोरी जाना.**—जहां मीटर निरीक्षण के दौरान क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया जाता है तो उपभोक्ता निम्नांकित व्यय देने के लिए बाध्य होगा:—

(एक) यदि यह पाया जाए कि सील निकाल ली गई है या तोड़ दी गई है या आंशिक रूप से मीटर क्षतिग्रस्त हो गया है तो रिटेल उपभोक्त को रिसीलिंग फीस एवं जुर्माने बाबद रुपये 500 एवं रिपेयरिंग चार्ज के अलावा रुपये 1000 का भुगतान करना होगा.

(दो) यदि जानबूझकर क्षति करने के कारण मीटर काम के अयोग्य हो जाता है तो उपभोक्ता मीटर की लागत के तालिका अनुसार मीटर की पूरी कीमत एवं कंडिका (एक) में निर्दिष्ट रीसिलिंग फीस तथा जुर्माना वसूल किया जाएगा.

(तीन) यदि वाटर मीटर की चोरी हो जाए तो उपरोक्त कंडिका (2) के अनुसार कार्रवाई की जावेगी जो कि प्रचलित निर्धारित नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई से अलग होगी.

सारणी

क्र.	पानी की मासिक खपत	आवासिक/ घरेलू संयोजन		वाणिज्यिक संयोजन	औद्योगिक संयोजन	संगठनात्मक/ संस्थागत संयोजन
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	11.95 रुपये प्रति किलोलीटर	23.90 रुपये प्रति किलोलीटर	35.85 रुपये प्रति किलोलीटर	17.90 रुपये प्रति किलोलीटर
2	प्रतिमाह 20 किलोलीटर से 30 किलोलीटर तक	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	11.95 रुपये प्रति किलोलीटर	23.90 रुपये प्रति किलोलीटर	35.85 रुपये प्रति किलोलीटर	17.90 रुपये प्रति किलोलीटर
		प्रतिमाह 20 से 30 किलोलीटर	16.95 रुपये प्रति किलोलीटर	33.90 रुपये प्रति किलोलीटर	50.85 रुपये प्रति किलोलीटर	25.40 रुपये प्रति किलोलीटर

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
3	प्रतिमाह 30 किलोलीटर से अधिक	प्रतिमाह 20 किलोलीटर तक	11.95 रुपये प्रति किलोलीटर	23.90 रुपये प्रति किलोलीटर	35.85 रुपये प्रति किलोलीटर	17.90 रुपये प्रति किलोलीटर
		20 से 30 किलोलीटर	16.95 रुपये प्रति किलोलीटर	33.90 रुपये प्रति किलोलीटर	50.85 रुपये प्रति किलोलीटर	25.40 रुपये प्रति किलोलीटर
		30 किलोलीटर से अधिक	21.95 रुपये प्रति किलोलीटर	43.90 रुपये प्रति किलोलीटर	65.85 रुपये प्रति किलोलीटर	32.90 रुपये प्रति किलोलीटर
4	प्रतिमाह बिना खपत अथवा न्यूनतम खपत के लिए न्यूनतम जल प्रभार.	रुपये 60.00		रुपये 120.00	रुपये 180.00	रुपये 90.00

टिप्पणी.—(1) ऐसे उपभोक्ता जिन्हें कि नगरपालिका निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे का समझा गया है, के लिए दरें, उपरोक्त दरों की आधी (पचास प्रतिशत) होंगी.

(2) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए न्यूनतम जल प्रभार बिना खपत अथवा न्यूनतम खपत के लिए 30 रुपये होगा.

(3) बल्क प्रदाय की स्थिति में, घरेलू उपभोक्ता से न्यूनतम खपत अथवा बिना खपत पर 500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करना होगा.

(4) सम्पूर्ण व्यवस्था के पूर्ण होने तक उपभोक्ता को प्रति संयोजन प्रतिमाह 200 रुपये का एक समान जल प्रभार प्रभारित किया जाएगा. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तथा झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के लिए उक्त प्रभार आधे होंगे. झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक नल लगाए जाएंगे, हितग्राहियों से 100 रुपये प्रतिमाह प्रभार लिया जाएगा.

बल्क दरें (मीटर रीडिंग द्वारा) निम्नानुसार होंगी:—

आवासिक/ घरेलू संयोजन	—	11.95 रु.	प्रति किलोलीटर
संगठनात्मक/ संस्थागत संयोजन	—	17.90 रु.	प्रति किलोलीटर
वाणिज्यिक संयोजन	—	23.90 रु.	प्रति किलोलीटर
औद्योगिक संयोजन	—	35.85 रु.	प्रति किलोलीटर

(सरकार द्वारा अवधारित दरें स्वीकार्य होंगी).

(एक) रियायतग्राही मीटर रीडिंग के 10 दिवस के भीतर देयक (बिल) जारी करेगा. भुगतान के लिए अधिकतम समय 30 दिन होगा. विलम्बित भुगतान की स्थिति में रियायतग्राही विलम्ब शुल्क के रूप में उपभोक्ता से शेष राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह का प्रभार लगाएगा. विलम्ब शुल्क, विलम्ब शुल्क पर प्रभारित नहीं किया जाएगा.

(दो) रियायतग्राही को संयोजन काटने का अधिकार है. यदि उपभोक्ता दो माह की कालावधि के भीतर देयक का भुगतान नहीं करता है तो रियायतग्राही नगरपालिक निगम के पूर्व अनुमोदन से संयोजन काटने के लिए प्राधिकृत रहेगा.

(तीन) रियायतग्राही संयोजन राशि, शेष राशि और जल देयक राशि के भुगतान के पश्चात् जल संयोजन पुनः जोड़ देगा.

(चार) रियायतग्राही प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष के पश्चात् प्रभारों का पुनर्निर्धारण, मूल्य निर्धारण समिति और स्वतंत्र संपरीक्षक की देख-रेख में करार में दिए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा. प्रभारों को बढ़ाने की प्रक्रिया करार (संशोधित) की अनुसूची के में दिए गए सूत्र के अनुसार की जाएगी. पुनरीक्षित जल प्रभार मेयर इन कौंसिल तथा साधारण परिषद् की मंजूरी के पश्चात् लागू की जाएगी.

(पांच) उपरोक्त के अलावा, जल प्रभार विद्युत् प्रभारों की दर के अनुसार, विद्युत् के स्वयं के स्त्रोत के अनुसार और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पुनरीक्षण के अनुसार बढ़ाये या घटाये जाएंगे.

(छह) जल प्रदाय योजना की प्रचालन कालावधि में रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत किए गए समस्त प्रभार एस्क्रो खाते में जमा किए जाएंगे.

जल प्रदाय संयोजन हेतु आवेदन फार्म

(नगरपालिक निगम, खण्डवा के नियम एवं विनियम के अनुसार संशोधन किये जाने योग्य)

फार्म जारी किया .....

केस नं. ..... दिनांक .....

फार्म जमा करने का अंतिम दिनांक .....

प्रति,

के. एम. सी. अभियंता,
नगरपालिक निगम, खण्डवा

महोदय/ महोदया,

निवेदन है कि, मुझे जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत . . . . . मिलीमीटर व्यास का संयोजन प्रदान करने का कष्ट करें.

नाम	:	.....
पिता/ पति का नाम	:	.....
प्लाट क्रमांक	:	.....
मकान नं.	:	.....
सड़क	:	.....
वार्ड नं.	:	.....
शहर	:	खण्डवा
वर्ग	:	(सामान्य / गरीबी रेखा से नीचे) .....
मुझे जल प्रदाय	:	(क) घरेलू / आवासिक संयोजन हेतु चाहिए
		(ख) संगठनात्मक/ संस्थागत संयोजन हेतु चाहिए
		(ग) वाणिज्यिक संयोजन हेतु चाहिए
		(घ) औद्योगिक संयोजन हेतु चाहिए

1. जल प्रदाय संयोजन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए दर अनुसार राशि जमा करने के लिए सहमत हूं:—

- प्रारंभिक सुरक्षा जमा रु. .....
- मीटर सुरक्षा जमा रु. .....
- ड्रिलिंग तथा टेपिंग प्रभार रु. .....
- अन्य जमा (यदि उपभोक्ता किरायेदार है) रु. .....
- फेरूल, सेडल पीस एवं लेबर आदि रु. .....
- अन्य प्रभार यदि कोई हो रु. .....
- कुल योग रु. .....

2. मुझे नियमों और उपविधियों की जानकारी है तथा मैं उनका पालन करूंगा और समय-समय पर बकाया राशि जमा करूंगा.

3. मैं उपरोक्त परिसर जिसके लिये संयोजन चाहा गया है का मकान मालिक हूं/ अधिकृत किरायेदार हूं. जिसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये गए हैं:—

(क) विक्रय विलेख/ सनद.

(ख) मृत्यु प्रमाण-पत्र, यदि आवश्यकता हो तो.

(ग) चार प्रतियों में नक्शा (प्लान)

(घ) भूमि स्वामी द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र (रुपये 100/- से अधिक के स्टाम्प पेपर पर)

(ङ) शासकीय पट्टेदार रजिस्ट्रीकृत करार.

(च) सक्षम न्यायालय का आदेश. (यदि आवेदक किरायेदार हो तो)

मैं यह घोषणा करता हूं कि—

(1) दस्तावेज जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, की सत्यता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं.

(2) मैं एजेन्सी/ प्लम्बर . . . . . से संयोजन का कार्य कराऊंगा जिसके पास नगरपालिक निगम द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति है.

(3) मैं संबंधित विभाग से सड़क काटने की अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद ही जल प्रदाय संयोजन प्राप्त करूंगा और अपशिष्ट जल की निकासी के लिए नाली बनवाऊंगा.

(4) मैं सहमत हूं कि नगरपालिक निगम द्वारा लगाए गए मीटर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है. यदि मीटर खराब होता है तो मैं नगरपालिका निगम को सूचित करूंगा. मैं देयक की प्राप्ति की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर मीटर बदलवाने का वचन देता हूं.

(5) मैं समझता हूं कि यदि निरीक्षण के दौरान मेरा मीटर खराब पाया जाता है और यदि मैं उसे बदलवाने में असफल रहता हूं तो रियायतग्राही को मेरा जल प्रदाय संयोजन काटने का अधिकार होगा. नगरपालिक निगम और रियायतग्राही को सूचना देने के पश्चात् मीटर हटाया एवं पुनः लगाया जाएगा.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख : . . . . . .

नाम : . . . . . .

पता : . . . . . .

मेरी उपस्थिति में आवेदक ने हस्ताक्षर किए

के. एम. सी. अभियंता
नगरपालिक निगम, खण्डवा

साक्षी :

नाम : . . . . . .

हस्ताक्षर : . . . . . .

नाम : . . . . . .

हस्ताक्षर : . . . . . .

प्लंबर के हस्ताक्षर

रियायतग्राही

तारीख :

अनुज्ञप्ति क्रमांक . . . . . .

नगरपालिक निगम, खण्डवा तथा उपभोक्ता के बीच किया जाने वाला करार

(नगरपालिक निगम के नियमों तथा शर्तों के अनुसार संशोधित किए जाने योग्य)

यह करार जल प्रदाय संयोजन प्राप्त करने के लिए श्री/ श्रीमती ..... (नाम) तथा के. एम.सी., अभियंता वास्ते नगरपालिक निगम, खण्डवा के मध्य निष्पादित किया गया.

इस करार में श्री/ श्रीमती ..... पता ..... जिला खण्डवा प्रथम पक्षकार तथा के. एम. सी., अभियंता, नगरपालिक निगम, खण्डवा द्वितीय पक्षकार कहे जाएगें.

मैंने करार का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उसके लिए नीचे दिए गए नियमों तथा शर्तों से सहमत हूं:—

1. मैं/ हम नगरपालिक निगम द्वारा, उनके द्वारा बनाई गई उपविधियों को प्रभावशील करने हेतु रियायतग्राही/ प्राधिकृत अभिकर्ता से सहमत हूं/ हैं.

2. मैं/ हम नगरपालिक निगम द्वारा, निर्धारित जल प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहमत हूं/ हैं.

3. यदि मैं/ हम शेष राशि का दो मास तक भुगतान नहीं कर सकें तो नगरपालिक निगम को बिना किसी सूचना के जल संयोजन विच्छेद करने का अधिकार होगा जिसके लिए मैं/ हम जिम्मेदार होंगे.

4. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि नगरपालिक निगम/ रियायतग्राही को, जो कि कलक्टर, खण्डवा के लिए राजस्व संग्रहित करेंगे, मेरी/ हमारी, चल/ अचल संपत्ति से शेष राशि काटने की अनुमति होगी.

5. मैं/ हम इस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं कि वह प्रयोजन जिसके कि लिए मैंने/ हमने जल संयोजन प्राप्त किया है, उसी प्रयोजन के लिए उपयोग करेंगे और यदि मैं/ हम जल का दुरूपयोग करते पाए जाएं तो हम उपयोग किए गए जल के लिए दोगुने बिल (देयक) का भुगतान करने के दायी होंगे तथा नगरपालिक निगम तथा रियायतग्राही को मेरे/ हमारे जल संयोजन को काटने का अधिकार होगा.

6. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मैं/ हम जल प्रभार देयक की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर उसका भुगतान कर देंगे तथा यदि मेरे/ हमारे द्वारा उक्त देयक का भुगतान नहीं किया जाता है तो मेरे/ हमारे द्वारा उक्त राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देय होगा.

7. मैं/ हम यह जवाबदारी लेते हैं कि—

   (क) नगरपालिक निगम द्वारा जल संयोजन के लिए निर्धारित फेरूल से बिछाई गई एम.डी.पी.ई. या जी. आई.पी. पाईप लाइन का अनुरक्षण तथा मरम्मत मेरे अकेले की जिम्मेदारी होगी;

   (ख) सर्विस लाइन नाले या गटर के ऊपर से नहीं बिछाई जाएगी;

   (ग) अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि सर्विस लाइन नाले या गटर के ऊपर से होकर बिछाई जाती है तो उक्त पाईप लाइन को एक बाहरी वायु रोधी तथा जल रोधी पाईप या आवरण या जी आई पाईप से, जो कि संयोजन पाईप लाइन के व्यास के दोगुने के समतुल्य हो, आच्छादित किया जाएगा तथा ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार के जल प्रदूषण के लिए मैं/ हम जिम्मेवार होंगे;

   (घ) यदि सर्विस लाईन में रिसाव हो जाता है तथा उसकी मेरे द्वारा मरम्मत नहीं की जाती है तो नगरपालिक निगम अथवा रियायतग्राही को मेरा संयोजन काटने का अधिकार होगा.

8. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि किसी पाईप लाइन की औसत आयु 15 वर्ष है. 15 वर्ष के पश्चात् अथवा पाईप लाइन के क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसे बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी तथा मैं/ हम ऐसा करने की सहमति व्यक्त करते हैं.

9. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मेरी/ हमारी सम्पत्ति पर यदि कोई शेष बकाया भुगतान शोध्य होगा तो मैं/ हम ऐसे बकाया/ भुगतान नहीं किए गए देयकों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे.

10. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मेरे/ हमारे पाईप लाइन संयोजन में काटने/ खोलने/ खोदने के लिए नगरपालिक निगम/ लोक निर्माण विभाग/ किसी अन्य विभाग की पूर्व अनुमति मुझे/ हमें लेनी होगी, यदि ऐसी प्रक्रिया में खुदाई के दौरान नगरपालिक निगम अथवा लोक निर्माण विभाग की सम्पत्तियों को क्षति पहुंचती है तो मैं/ हम ऐसी क्षति का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा/ रहेंगे.

11. मैं/ हम निर्धारित जल प्रभारों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं.

12. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि मैं/ हम नगरपालिक निगम द्वारा बनाए गए किन्हीं भी नियमों को तोड़ते हैं तो मेरा/ हमारा जल संयोजन किसी भी समय काटा जा सकता है. ऐसी स्थिति में मुझे/ हमें पिछले तीन माहों पर आधारित औसत देयक की राशि का भुगतान करना होगा.

13. मैं/ हम नगरपालिक निगम अथवा रियायतग्राही द्वारा निर्धारित संयोजन या पुनर्संयोजन की लागत का भुगतान करने की सहमति व्यक्त करते हैं.

14. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि नगरपालिक निगम अथवा ग्राही के पास जल प्रदाय मीटर उपलब्ध नहीं है तो मैं/ हम ऐसे मानक के मीटर का क्रय करेंगे जैसा कि नगर पालिक निगम द्वारा निर्धारित किया जाए.

15. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मीटर को अच्छी/ चालू अवस्था में बनाए रखना मेरी/ हमारी जिम्मेदारी होगी. यदि नगरपालिक निगम अथवा रियायतग्राही यह पाता है कि जल मीटर की सील को क्षति पहुंचाई गई है अथवा मीटर को जानबूझकर मेरे/ हमारे द्वारा बन्द किया गया है तो नगरपालिक निगम को जल प्रदाय संयोजन को काटने का अधिकार होगा तथा जल मीटर का अनुरक्षण प्रभार का मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया जाएगा.

16. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि यदि मीटर तीन माह से अधिक से बन्द पाया जाता है तो, मुझे/ हमें अधिकतम औसत अथवा समान दर देयक, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा.

17. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि वाटर मीटर की सुरक्षा के लिए मैं/ हम, मेरी/ हमारी स्वयं की लागत से ईंट व सीमेंट के एक कक्ष का निर्माण करेंगे.

18. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मीटर के लगाए जाने की लागत का भुगतान मेरे/ हमारे द्वारा एक बार में किया जाएगा.

19. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि नगरपालिक निगम और रियायतग्राही को दिन में किसी भी समय वाटर मीटर का निरीक्षण का अधिकार होगा.

20. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि किसी शिकायत अथवा आपत्ति की दशा में मैं/ हम सर्वप्रथम लंबित देयक का भुगतान करेंगे तथा ऐसी शिकायत का समाधान होने के पश्चात् मेरे/ हमारे द्वारा किए गए भुगतान को आने वाले देयकों में समायोजित किया जाएगा.

21. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि मैं/ हम पाईप लाइन से मोटर पम्प द्वारा पानी नहीं लेंगे यदि नगरपालिक निगम या रियायतग्राही जल खींचने वाली मोटर को पाईप लाइन के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं तो उन्हें जल संयोजन काटने का अधिकार होगा. यदि जल खींचने वाली मोटर के कारण जल मीटर खराब हो जाता है तो हम ग्राही को अनुरक्षण/ मरम्मत के प्रभारों का भुगतान करने के दायी होंगे.

22. मैं/ हम इस बात से सहमति व्यक्त करते हैं कि नगरपालिक निगम/ रियायतग्राही की किसी पूर्व अनुमति के बिना मैं/ हम पाईप लाइन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे/ उसे बदलेंगे नहीं. यदि नगरपालिक निगम या रियायतग्राही द्वारा ऐसा पाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें जल संयोजन काटने का अधिकार होगा.

23. यदि निरीक्षण के दौरान मीटर खराब पाया जाता है तो उक्त मीटर के बदले जाने और फिर से स्थापित किए जाने के समय तक पूर्व के देयक में जल की अधिकतम खपत तक के अनुसार गणना कर उपभोक्ता पर प्रभारित किया जाएगा.

(1) 5 प्रतिशत धीमा या तेज है तो वास्तविक खपत पर;

(2) पूर्व के आने वाले देयक की औसत गणना पर;

(3) संयोजन की प्रवाह क्षमता पर उसके आकार प्रदाय के घंटों आदि पर विचार करते हुए, परन्तु विगत बारह महीनों के दौरान दर्ज मासिक खपत के दोगुने से अधिक न हों.

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

के. एम. सी.
अभियंता,
नगरपालिक निगम, खण्डवा.

नवीन कालोनियों के लिए दिशा-निर्देश.—1. नवीन कालोनियों जिन्होंने अनुज्ञा प्राप्त की है या जिनके पास विकास प्रमाण-पत्र हैं, ऐसी कालोनियों के कालोनाइजर को प्रत्येक भू-खण्ड पर वैयक्तिक संयोजन लेना होगा और ऐसे भू-खण्डों पर/ भवनों पर आवश्यक रूप से एक वाटर मीटर भी लगाया जाएगा. संबंधित भू-खण्डों को वितरण के लिए ऐसी पाईप लाइन की लागत का भुगतान कालोनाइजर को करना होगा, वही पाईप लाइन अन्य कालोनियों तक भी बढ़ाई जा सकती है इसके लिए नगरपालिका निगम के पास अधिकार होगा.

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और साथ ही कालोनाइजर नियम, यदि कोई हों के अनुसार जल प्रदाय के लिए ओव्हर हेड टंकी का निर्माण करना कालोनाइजर से न्यूनतम अपेक्षा होगी. चूंकि उक्त जल प्रदाय योजना का संचालन किया जा रहा है, अतएव कालोनाइजर एक ओव्हर हेड टंकी का निर्माण करेंगे अन्यथा उसे टंकी बोरिंग के निर्माण की राशि नगरपालिक निगम के कार्यालय में जमा करनी होगी. ऐसी टंकी के निर्माण के लिए कालोनाइजर को भूमि का एक टुकड़ा नगरपालिक निगम, खण्डवा को अंतरित करना होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

क्र. एफ 1-20-2014-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 90 एफ 1-20-14-अठारह-3, दिनांक 20 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal the 20th October 2014

Not. No. 90-F 1-20-2014-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 427 and 430 read with Section 431 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the Municipal Corporation, Khandwa, hereby, makes the following byelaws for Water Metering and Regularization of connection under public private partnership system in the urban area of the said Corporation, namely:—

BYELAWS

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These bye-laws may be called the Water Metering and Regularization of connection Byelaws, 2014.

(2) These byelaws shall be applicable in the area of Municipal Corporation Khandwa as well as for the new areas which shall be included under the said Municipal Corporation.

(3) It shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these byelaws, unless the context other wise requires,—

(a) "Act" means the Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(b) "Byelaws" means the right and duty between the Concessionaire and Customer for water supply under the public-private partnership scheme for a concession period;

(c) "Commercial connection" means the consumption of water drawn by the institution/ proprietor / organization like Hostels, Shops, Theatres, Laundries, Community Halls, Private Hospitals, Hotels, Marriage Garden, Showroom, Godowns and similar institutions;

(d) "Commercial operation date" means the date of finishing successful inspection after the construction of Water Supply Scheme, which shall be notified by the Municipal Corporation, Khandwa in writing;

(e) "Commissioner" means Commissioner of Municipal Corporation, Khandwa;

(f) "Communication pipe" is system of pipe lines or their branches for the supply of water to domestic, institutional, commercial and industrial land, house, garden or industry. Connection pipe and meter are included in this;

(g) "Concessionaire" means private agency authorized by the Municipal Corporation, Khandwa which has been appointed in accordance with the agreement;

(h) "Consumer" means any person or institution currently getting the benefit of water supply from Municipal Corporation, Khandwa or will get the benefit in future in its own name or as a Manager through Concessionaire;

(i) "Connection pipe" means part of pipe which connects ferule to stop cock;

(j) "Corporation" means Municipal Corporation, Khandwa for the purpose of these byelaws;

(k) "Domestic connection" means the consumption of water drawn by the people for the need of only domestic purposes like drinking, cooking, bathing, washing, cleaning and flushing of toilets, household gardening, pet animals and individual air conditioning;

(l) "Ferule" means part of connection pipe to connect main pipe or branches to connection pipe;

(m) "Industrial connection" means the consumption of water done by industries like Oil Mills, Dal Mills, Paper Mills, Ice Factories, Service Stations, Workshops, Fcundries, Packing Industries or any other industry which consumes water for producing the final product directly or for the purpose of serving domestic needs of the people working or staying in the industries and any other industry which is defined by Industries Department;

(n) "Institutional connection" means the consumption of water drawn by the institutions like school, colleges, offices, hospitals (Government, Semi-Government and Private), Charitable Trust, public gardens and institutions not run for profit;

(o) "Main pipe" means pipe wnich is connecting to the: water collecting pipe for water supply purpose;

(p) "Meter" means device for measuring quantity of water;

(q) "Price Review committee" means committee shall consist of 4 members the commissioner/chief account officer, the KMC engineer, Municipal chief auditor and one representative of the Concessionaire;

(r) "Service pipe" means pipe which is used for water supply from stop cock to premises of house, institution, commercial and industrial place and garden;

(s) "Stop cock" means a device which is fitted at end of connection pipe to control water supply in premises of consumer

Note.—The words and expressions used but not defined in these Byelaws but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Duties of Concessionaire.**—The Municipal Corporation, Khandwa is issuing these byelaws under sub-section (c) of Section 220 read with Section 221 to 239 and 241 to 245 of the said Act the corporation enters in to agreement with the concessionaire to employ the Concessionaire to discharge the following duties and obligations and exercise its right and powers for water supply operetion and maintenance.

(1) The Corporation, from the date of notification of these Byelaws in the Madhya Pradesh Gazette shall assist concessionaire and its staff for metering the existing connections and regularization of illegal connections.

(2) The Corporation, shall handover the water supply and distribution system to the Concessionaire on the intended "Commercial Operation Date" for next 23 years. From the same date function of charging and collecting water charges from consumers on monthly basis shall be done by the Concessionaire. After Expiry of concession period the Concessionaire shall transfer this system in good, running condition (which shall be determined, organized and empowered by a committee constituted by the Corporation, which shall have the representatives of Concessionaire) without any liabilities.

(3) The Concessionaire shall provide water supply to all the consumers for duration of 24 x 7 with residual pressure upto the height of 12 meters at service point. It shall be the responsibility of the Concessionaire to ensure and maintain the distribution system in such a way that the consumer can draw water with minimum 135 litres per day in supply hours The required repairing/rectification slall be completed within 3 days of complaint at the cost of the complainant. It shall be the responsibility of the Corporation, to extend the existing pipeline up to 1 km. per year. The required pipes shall be supplied by the Corporation. The cost of jointing material and labour charges shall be borne by the Concessionaire.

(4) All properties (individual or of partnership) must be metered in phased manner by the start of Commercial Operation Data. The Concessionaire shall serve monthly bills to the consumers

according to the reading of the water meter as specified in Schedule-I. The water charges shall be revised from time to time as per Schedule-K. In addition the bill, water charges shall include the meter cost and reconnection charges as specified in Schedule-I.

(5) In the entire Municipal Corporation area pure and filtered water shall be supplied as per "CPHEEO-Manual on Water Supply and Treatment May, 1999". This water supply shall be done as per guidelines specified in I.S. 10500 (As amended).

(6) The entire distribution system has been divided into 10 zones. Each zone served preferably by a overhead Elevated Service Reservoir (ESR). Whole Municipal area shall be divided into 10 zonal offices, out of these zonal offices one shall be the head office of the Concessionaire. In all zones and the main office, the complaints shall be heard and redressed. The bills of consumers shall be distributed from here and also water charges shall also be collected.

(7) Every consumer shall have to enter into an agreement with the Corporation, for supply of water to his premises (Consumer Agreement). The Concessionaire shall facilitate the signing the Consumer Agreement. Agreement shall be done without any fees for current legal consumers.

(8) The Corporation shall convert all the illegal connections into the legal connections.

(9) Concessionaire shall have authority for water supply, collection of water charges, installation charges of meter and disconnection. All above works shall be done under the supervision of Corporation.

(10) "Concessionaire" shall have absolute authority to supply water in Municipal Corporation area of Khandwa, It is agreed that there shall be no commission of any similar system competing by way of construction of a new facility or augmentation of capacities of existing facilities it means any similar competing facilities for water supply and distribution within corporation shall not be allowed-individual tubewell of owner shall not be closed. It shall not be taken over by the Corporation or Concessionaire and individual owner may provide supply water free of charge to others domestic use only. All public well, pond and hand pump shall remain in operation in the existing practice. These facilities shall not to be handed over to Concessionaire.

(11) All the Operation and Maintenance works of water supply by the Concessionaire shall be done under the supervision of Corporation. All complaints of the consumer shall be redressed by Concessionaire. If the complaints are not redressed by the Concessionaire, then it shall be redressed by the Corporation.

(12) All conditions, clauses and Schedules of "Concessionaire Agreement" between the Corporation and Concessionaire shall be applicable under these Byelaws.

(13) There shall not be a system of non-revenue in this water supply scheme. (But for religious and social work on the appropriate places and time the Corporation shall supply the water' as per the present system of water supply. The Corporation shall also supply water for the gardens, pyaau, fire brigade and public utility washrooms as per the present system of water supply. The organizations shail be independent to use the resources regarding water supply and Corporation and concessionaire shall not make it to their subjection, but the organizations shall, in no way provide supply the water to others on the payment basis.

(14) The time from the date of Gazette Notification to the commercial operation date the period shall be called transition period During this time the process of all the valid connections shall be metered and the invalid connections shall be made valid and metered. In this scheme twelve months from the date of commercial operation date shall be called establisation period. It shall be deemed during this period the concessionaire has established all the facilities for the water supply.

4. **The main functions of the Corporation.**—(l) The Corporation shall prepare and announce an amnesty plan for regularizing illegal water connections with penalties and installing water meters within a period of 6 (six) months from Gazette Notification, it's called amnesty Period. During the intervening period till meter is installed consumer shall pay on flat rate basis, as per amendment in byelaws.

(i) From the date of Gazette notification, the Corporation shall help the concessionaire to put up the meter and to make the valid all the invalid connections. Under this process applications shall be received from the consumer and the process of making agreement shall be done. All the applications with the fees shall be submitted and deposited in the office of Corporation;

(a) The Corporations shall issue the Bill of water every month.

(b) Application for water connection shall be submitted and a permission shall be granted by the Corporation itself.

(c) Cost of meter and water connection charges shall be deposited in the joint account of Corporation and concessionaire.

(ii) The Corporation, shall provide the list of consumers with the information of their address, caution money and balance amount to the concessionaire.

(iii) The Corporation shall help the staff and labours of concessionaire agency for issuing notices of regularization of water connections.

(iv) In case the consumer has any disputes or disagreement with the staff and labour of concessionaire to establish the meter, the Corporation, shall redress the said dispute.

(v) The Corporation, on every quarterly period shall transfer the cost and establishment charge (in accordance with Schedule I as determined per meter) to the concessionaire.

(vi) The Corporation, shall received collect all the balance arrears of water charges from the date of gazette notification to the commercial operation date.

(2) **The main functions of the concessionaire.**—(i) The concessionaire shall start the work of establishing meter and regularization of invalid water connections and providing them meters from the date of gazette notification.

(ii) The concessionaire shall put its labour and staff for regularization of assembling the water connections, serving notice and establishing meters in the premises of the consumer.

(iii) The consumer who is not agreed for establishing the meter with the concessionaire, the Corporation, shall complete such process

(iv) The concessionaire shall keep the record of regularization of invalid water connections, establishment of consumers meter and recover the balance amount.

(v) On the end of every quarter of a year the concessionaire shall transfer the information of the balance amount of water charges to the Corporation, from the date gazette notification to the date of commercial operation date.

(vi) On the end of every quarter of a year the concessionaire shall produce the Bills of water connections which are established in the premises of consumer and shall also receive payment thereof, and produced the same before the Corporation.

(vii) The concessionaire shall keep the 10% of meters and other spares as stand by unit. The joint functions of Corporation, and Concessionaire.

(3) **Functions to be Performed Jointly by the Corporation and Concessionaire.**—(i) All the valid/invalid water connections of Corporation shall be regularized and a meter shall be established upto the commercial operation date.

(ii) Under this water supply scheme the establishment and development of meter shall work together in the interest of consumer so that the consumer may have interest for establishing meter. For such working process the Corporation, and concessionaire shall be agreed respectively.

Explanation.—For this purpose two demonstration zones shall be established, wherein maximum meter connections shall be established, but there shall be no compromise in quality and quantity of water supply.

(iii) From the completion of period of conduct to the commercial operation date, the information regarding payment made by consumers shall be forwarded and paid by the concessionaire to the Corporation. The Corporation shall pay the amount of meter fixation as well as its balance amount to the concessionaire.

5. **Schedule-I (amended) levies of charge and water charges.**—The application to be submitted by the Consumer for water supply connection;

(1) Any individual or organization may submit an application to the office of Corporation for permanent/new temporary water connection or transfer of present water connection or for a change in the water connection.

(2) Application form shall be given to the land lord or owner of house or any equivalent agent authorized for the said purpose and it shall be signed either by landlord or his agent. The landlord or owner of the house shall have to enclose the documents as updated which are supporting the proof of ownership, having survey register khasra number or verification of Government or Assistant Registrar, Registration/Government lease or anv agreement regarding registration or an order of the Court of Law as a proof for the land/house in concerned.

(3) If the consumer is a tenant, then the land lord or house owner has to produce the no objection certificate before the Corporation.

(4) For the bulk water the supply, such cases shall be considered after making an agreement under the provisions of the Act, bye-laws and rules made thereunder.

(5) In case of disconnection of water connection the consumer land lord shall produce the receipt of payment of last months water charges, in which it is mentioned that the balance water connection charges has been paid to the Court and then the tenant may apply for the reconnection of water a matter being subsidies.

(6) For the purpose of reconnection the consumer shall apply fifteen days in advance mentioning the disconnection of water and has to produce the receipts of payment for the current month in advance.

(7) The present valid water connection consumers need not to pay the amount for water connection and their agreements shall be made without fees.

6. **Validation of sanction of new connection.**—(1) After getting the sanction for new connection the consumer shall receive the water connection within a period of three months from the date of such sanction. If within the said period of three months the water connection is not given from the main pipe line, the said sanction shall be considered cancelled and become invalid. In such cases the consumer has to produce a new form for the water connection.

(2) If because any reason the water connection is disconnected, then the payment of charges has given below in the table shall be paid to the Corporation, then reconnection can be done after making all the balance charges by the consumer.

No.	Connection size in mm	Disconnection charge (Rs.)	Re-connection charge (Rs.)
1.	15	100	200
2.	20	150	300
3.	25	200	400
4.	40	250	500
5.	50	300	600

Note.—The above said charges shall be 50% for the below poverty line families.

(3) If during the reconnection period any disconnection takes place and the concerning consumer do not apply for reconnection of such water connection, then such connection shall be cancelled and the caution money shall be seized by the Corporation.

7. **Service Connection and Meter Charges.**—(1) The preliminary cost and service connection charges of water connection shall be borne by the consumer as prescribed in the table below.

(2) These charges can be reviewed by the price review committee after a period of every three years.

S.No.	Charges	Description of connection				
		15 mm.	20 mm.	25 mm.	40 mm.	50 mm.
1.	Caution Money	900	1500	2500	5000	10000
2.	Service Connection charges, ferule saddle and labour charges etc., the amount which shall again be received by the concessionaire.	300	400	500	600	700
3.	The cost of meter received back by the concessionaire (meter and labour in Rs.).	1200	1500	1900	4200	7000
	Total :	**2400**	**3400**	**4900**	**9800**	**17700**

Note.—The amount of the service connection shall be half of the above exhibited amounts for the consumers of below poverty line.

(3) For the wholesale consumers such as Co-operative Society for Association of Apartment owners the concessionaire shall provide water supply in a appropriate meter accordingly, the charges of which shall be determined separately or consumer shall fix a meter of approved standard on his own cost.

(4) The process of establishing meter shall be in accordance with the water metering and regularization water connection bye-laws 2014. The consumer shall deposit an amount of caution money to the office of Corporation and shall receive a receipt thereof. After examining the receipt the Municipal Corporation and concessionaire shall inform the applicant for fixing up a meter. For installation of meter the requisite cost and wages shall be borne by the concessionaire and thereafter it shall be reimbursed by Corporation in accordance with the above said table.

(5) In case of invalid connection the process of regularization and metering shall be done in accordance with Bye-laws, 2014. Consumer have to apply for new connection in, accordance with the provisions of Bye-laws, 2014, then only the invalid connection shall be made valid and the meter shall be installed.

8. **Provisions for public water connection and slums area.**—From the commercial operation date all public water connections shall be disconnected. Affected persons/ group shall be inspired to take the connection, Group connection shall be given for an apartment/tenant having ten houses together. One of these consumers shall be chosen as a leader of that group and he shall be responsible for installation of charges and water consumer charges. Under the system of group connection for members of group there shall only one tap of water for all the members of the group which shall be installed outside at the ground level of the apartment/ residence and it shall be installed in a way that every person may reach upto that water tap. The application of group connection shall be similar to that of personal connection and the names of all the beneficiaries of the apartment/tenant shall be displayed in the map attached thereto. The leader of the group shall be responsible to collect the money from all the members and pay the same to the concessionaire. If the leader of the group fails to pay the water charges, then the water connection shall be disconnected in the same manner as it is done in case of personal connection. In case of such disconnection the consumers who are involved in the group shall not be eligible for personal connection unless the balance amount of the group has been paid fully. There shall be a provision of making a new group leader.

9. **Permission of water connection to the consumers.**—(1) (a) all the fittings and service pipe work which shall be connected from the main pipe to the premises of the applicant shall be done in accordance with the drawing approved by the Commissioner or officer authorized by him and the work shall be carried out by a plumber licensed by the Corporation;

(b) The connecting pipe shall not be lesser than 45 cms. below the surface, and the said pipe should not kept inside the house. All the pipes should be kept or fixed in a manner that they should not be affected by the summer hit or the pipe and fittings of the consumer should not be destroyed, neither it should not be in danger to get connected with the drainage line nor there should be a danger of water pollution. Pipe should be fixed inside the house in a manner that the on duty employees of the concessionaire may have approach upto that place. Before using the material of fitting and pipe it shall be passed and sanctioned by the representative of concessionaire and Corporation. The water supply shall not start upto the time that concessionaire and the representative of Corporation has approved the same.

(c) All the cocks, tape and screw of the fittings of the service pipe shall be of down pattern and they shall have the standards of the quality prescribed by the rules/bye-laws of the Corporation.

(d) Without taking the prior approval of the concessionaire and Corporation, no consumer shall remove, convert, extent or replace the fittings of the pipe or of water connection.

(2) Any pipe which is used for the water supply shall be fixed or kept in a good manner or shall not be kept at a place where the water can be polluted or pipe can be damaged. Even though in the unavoidable cases, the consumers pipe shall be tied from an outer air tight water tight pipe or by a jacket of cast iron or the material which is approved by the concessionaire having appropriate length and strong shall be put from inside in a way that because of construction the pipe which are inside must be kept secured and the cost of the same shall be borne by the consumer.

(3) (a) in every place water supply shall be provided by special connection and for the supply of water in more than one place one pipe shall not be used. Provided that the division of places or in group such water charges shall be paid by one owner. The above said owner shall also have an option of connection pipe, which shall be sufficient for such kind of group or block and which is approved by the concessionaire.

(b) stop cock and position of meter shall be confirmed by the concessionaire, this shall be only control of the operation.

(c) for the connections having size of 25mm. or more than that shall be fixed with a crutch of spindle head having special designed stop cock which shall be in the form of a wheel or key. This shall also be approved by the concessionaire.

(4) The tap of any consumer shall not be fixed outside his premises. No tap shall be fixed near the open groups or in such places where the dangerous gas is produced. In no tank or reservoir the tap or cock shall be fixed or in the said tank or no possibility shall be kept to connect the container of reservoir with a pipe to a siphon back.

(5) The consumer who shall breach the provisions of the bye-laws shall have to reimbursed the expenses to the concessionaire and Corporation and failure thereof. The connection of the consumer shall be disconnected without issuing a notice.

(6) The expenses of leakage upto stop cock or meter or leakage without stop cock shall be borne by the concessionaire. But the expenses of leakage above this point shall be borne by the consumer. If the consumer fails to remove the leakage above this point, then the concessionaire and Corporation shall have authority to remove this disorder on the expenses of the consumer.

10. **Road cutting for new connection.**—(1) After the sanction to the consumer or a group of consumers a permission shall be received by the related local body or Government department for road cutting. He shall be liable for the payment of determined fees regarding road cutting to such department/authority. Permission for such road cutting before pre and main connection of pipes shall be submitted in writing to the concessionaire and Corporation.

(2) **Fees regarding unauthorised use.**—The water shall be used for the same purpose for which the connection has been granted. If any consumer is found misusing the water for any unauthorized use apart from the permitted purposes, then he has to deposit the double cost of the quantity of water misused by him.

(3) **Prohibition to consumer for pumping of water in the overhead tank.**—The concessionaire shall make available the water supply in appropriate pressure. No consumer shall pump the water either directly or indirectly into the overhead tank from the water connection. If the consumer or group of consumers or owner, as the case may be, if they desires so, may arrange the construction of a sump at their own cost at the ground level to lift water to an overhead tank. All these arrangements shall be done by the consumer after obtaining water from the main ground level of the water connection given by the Corporation. In no way the permission shall be given for direct pumping either from the pipeline owned by the Corporation or the pipeline connection of the consumer.

(4) **Proper disposal of waste water.**—The consumer or owner or the group of consumer after using the water from their connection they shall make proper arrangement for the disposal of waste water. The consumer or owner or group consumers shall be liable and bound to do this work under the provisions of rules framed by the Corporation.

(5) **Installation of meter.**—(i) The meter shall be installed on the sanction of the application submitted by the consumer annexing the site/place in the drawing and the consumer shall be responsible for the protection, theft, damage, misuse of the meter. In case of failure on the part of the consumer even after seven days of the service of the notice by the Concessionaire to the consumer, then the concessionaire shall take care of the risk of the meter, chamber and its fitting on the expenses of consumer.

(ii) If the meter is ruined, then concessionaire shall replace it with a new meter or with the meter repaired at the workshop of concessionaire the meter shall be tested in the workshop within fifteen days of the notice given by the consumer.

(iii) The meters which are installed / replaced shall be in accordance with the guidelines and specifications as given in the Schedule accordingly.

(iv) The meter shall be installed in a manner that water must be filled inside it forever and there shall not be a partial flow of water.

11. **Standard and quality of meter.**—The standard of meter shall be as under :—

(i) EEC (European Economic Community) marked/approved inferential multi-jet, straight reading dry dial water meters with magnetic drive of class-B with—

(a) Non-return valve;

(b) Facility for retrofitting automatic meter reading interface to wireless modem.

(ii) The meter shall accomplish the following standards,—IS-779/94 and ISO-4064.

(iii) More than two makes or brands of the meter shall not be provided in the project area. Meter supplier shall have to establish a workshop for meter repairing in.

(iv) A concessionaire must have adequate spare number of meters for the purpose of repair.

(v) Prior to the finalization of the makes or brands of the meter, the Concessionaire shall be required to get the meter tested by Fluid Control Research Institute (FCRI/CWPRS for type and life test accelerate endurance test) as per the requirements of ISO-779 / 94. Random testing process shall be adopted by the engineer of the Corporation, for sample testing of the balance meters would need to be provided with test certificates from the manufacturer.

(vi) Testing of meters after repairs has to be done for each such meter for its accuracy of metering by using a meter calibrated by FCRI/CWPRS in series; all testing facilities shall be set up at itself.

12. **Action to be taken when Meter is out of order.**—(i) On receipt of the complaint from the consumer, the representative of the Concessionaire should visit the connection site with all spares and tested meter and he shall remove the defective meter by replacing the same with the tested one.

(ii) During the routine inspection or scheduled meter reading programme, if any of the representatives of concessionaire or Corporation, finds fault in the meter, then the procedure as laid in paragraph (i) shall be followed. The defective meter shall be replaced soon and in any matter the replacement must be done within a period of one month.

(iii) Complaint regarding abnormal/ subnormal reading shall be treated as defective meter and shall be replaced as above.

(iv) If on examination, any meter is found to be out of order, the quantity of water consumed during the period commencing from the date of last reading to the date on which the meter is repaired and fixed or new meter is installed shall be reckoned at the maximum of the quantities worked out in the following manner, namely :—

(a) on the actual consumption recorded by the meter. if the same is found on testing to register upto and including five percent, slow or fast;

(b) on the average of the actual reading for the immediately preceding or succeeding period of two months.

(v) A meter shall be deemed to be out of order in the following circumstances, namely :—

(a) if it is found five percent fast slow on the testing;

(b) if it is found to have been damaged or tampered with at the time of inspection;

(c) if it is failed to register the consumption of water drawn through it;

(d) when there is direct error in reading the consumption of water by the meter.

13. **Testing of meter.**—(i) The Concessionaire shall establish a workshop for the repairing and testing of the meter and there shall be a sufficient stock of the spare parts therein. If after the installation of the meter, the consumer wants to get the fixed meter tested, then he shall apply to the concessionaire in writing and shall deposit the requisite testing fees which is given below in the table. In the workshop of concessionaire during the testing of the meter, if it is found that the is running fast 5% than the normal, then the amount deposited by the consumer shall be refunded by the concessionaire and from the date the consumer has made a complaint in writing, then his bill shall be amended from such a date on which the complaint was being made by the consumer and in the forthcoming water bill of the consumer, said amount shall be adjusted and recorded, but if the meter is running either fast or slow at the rate of 5% then the testing fees shall be seized. The water meter testing fees shall be as under :—

TABLE

S.No. (1)	Size of connection (2)	Testing and installation fees (3)
1.	15	50
2.	20	75
3.	25	100
4.	40	125
5.	50	150

Note.—After every three years, the water meter testing fees shall be increased 5%.

(ii) If the concessionaire has reason to believe that the meter is running slow, the concessicnaire may get the meter tested through his workshop. If .the meter has been tampered by the consumer, then the right of charging the cost of repairing from the consumer shall vest with the concessionaire.

(iii) The concessionaire shall service every meter after every three years at his own cost.

14. **Damage and stealing of meter.**—Where the meter is found damaged during the meter inspection, the consumer shall be liable to pay the following expenses :—

(i) If it is found that seal has been removed or broken or partially the meter has been damaged, then retail consumer has to pay the resealing fees and a fine of Rs. 500/- and apart from the value of repairing charges he shall have to pay Rs. 1000/-.

(ii) If the meter is damaged deliberately and the meter is found in non-working condition, then the consumer has to pay the complete cost of the meter, resealing fees as prescribed in paragraph (i) as well as the fine shall also be recovered from him.

(iii) If the meter is stolen then the action shall be taken in accordance with the paragraph (ii), which shall be altogether different from a routine action taken in this behalf.

11. **Billing of water tariff.**—After the gazette notification of the byelaws, the initial water charges shall be applicable, from the commercial operation date. Water supply shall be done by meter system. According to the

quantity of water used (kilolitre) bill for every month shall be issued for its payment as per the determined rates for as given in the table below :—

TABLE

No.	Monthly consumption of water	Residential/ domestic connection		Commercial connecrion	Industrial connection	Organizational /Institutional connection
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Upto 20 kilolitre per month	Upto 20 kilolitres per month	Rs. 11.95 per kilolitres	Rs. 23.90 per kilolitres	Rs. 35.85 per kilolitres	Rs. 17.90 per kilolitres
2.	From 20 to 30 kilolitre per month	Upto 20 kilolitres per month	Rs. 11.95 per kilolitres	Rs. 23.90 per kilolitres	Rs.35.85 per kilolitres	Rs. 17.90 per kilolitres
		From 20 to 30 kilolitres	Rs. 16.95 per kilolitres	Rs. 33.90 per kilolitres	Rs. 50.85 per kilolitres	Rs. 25.40 per kilolitres
3.	More than 30 kilolitre per month	Upto 20 kilolitres per month	Rs. 11.95 per kilolitres	Rs. 23.90 per kilolitres	Rs.35.85 per kilolitres	Rs. 17.90 per kilolitres
		From 20 to 30 kilolitres	Rs. 16.95 per kilolitres	Rs. 33.90 per kilolitres	Rs. 50.85 per kilolitres	Rs. 25.40 per kilolitres
		More than 30 kilolitres	Rs. 21.95 per kilolitres	Rs. 43.90 per kilolitres	Rs. 65.85 per kilolitres	Rs. 32.90 per kilolitres
4.	The minimum water charges For without consumption or minimum consumption per month	Rs. 60.00		Rs. 120.00	Rs. 180.00	Rs. 90.00

Note.—(1) The tariff for the consumers who are considered to be the below poverty line by the Corporation, shall be half (fifty percent) of the above tariff.

(2) For the families of the below poverty line, the minimum water charges shall be Rs. 30 per month without consumption or at minimum consumption.

(3) In case of bulk supply the domestic consumer shall have to pay Rs. 500/- per month either on minimum consumption or without consumption.

(4) Till the finalization of the whole system the consumer shall be charged a flat water charge of Rs. 200/- per month per connection. For the families of below poverty line and slum area the said charges shall be half. Public taps shall be installed in the slum areas the beneficiaries shall be charged Rs. 100/- per month.

Following shall be the bulk rate (By meter reading) :—

Residential/Domestic connection	-	Rs. 11.95 per kilolitre
Organizational/ Institutional connection per kilolitre.	-	Rs. 17.90
Commercial connection	-	Rs. 23.90 per kilolitre
Industrial connection	-	Rs. 35.85 per kilolitre/ (The rates determined by the Government shall be Acceptable)

(i) T'he concessionaire shall issue the bill within 10 days of meter reading. The maximum time for payment shall be 30 days. On delayed payment the concessionaire shall charge Rs. 1 percent per month on the balance amount of the consumer as a late fee. Late fees cannot be charged on the late fees.

(ii) The concessionaire has a right of disconnection. If the consumer does not pay the bill within a period of two months, the concessionaire is authorized for disconnection with a prior approval of the Corporation.

(iii) The concessionaire shall reconnect the water connection after payment of connection amount, balance amount and water bill amount.

(iv) After every three financial years the redetermination of the charges shall be made in accordance with the terms and conditions given in the agreement in the observation of Value Determination Committee and Independent Auditor. The process of increase of charges shall be done in accordance with formula given in the Schedule-K of the agreement [amended]. The revised water charges shall be made applicable after the sanction of Mayor-in-Council and General Assembly .

(v) Apart from the above, the water charges can be increased or decreased as per the tariff of electricity charges, as per own sources of electricity and as per. the revision of Narmada Valley Development Authority.

(vi) In the operational period of Water Supply Scheme, all the charges collected by the concessionaire shall be deposited in escrow account.

APPLICATION FORM FOR WATER SUPPLY CONNECTION

(Amendable as per the rules and regulations of the Municipal Corporation, Khandwa)

Form Issued to : . . . . . .

Case No. : . . . . . Date : . . . . . .

Last date for submission of form : . . . . . .

To,

The KMC Engineer,
Corporation,
Khandwa.

Sir/Madam,

It is requested to kindly grant me connection of . . . . . mm of Water Supply Scheme.

Name : .....

Father's/Husband's name : .....

Plot No. : .....

House No. : .....

Street : .....

Ward No. : .....

City : Khandwa

Category : General/Below Poverty Line .....

I want water supply for,— : (a) Domestic connection / Residential
(b) Organizational / Institutional connection
(c) Commercial connection
(d) Industrial connection

1. I am agreed to deposit the amount shown below for getting a water supply connection :—

- Initial security deposit Rs. .....
- Meter security deposit Rs. .....
- Drilling and tapping charges Rs. .....
- Other deposits (if the consumer is a tenant) Rs. .....
- Ferule, saddle piece and labour etc. Rs. .....
- Other charges, if any, Rs. .....
- Grand Total Rs. .....

2. I have the knowledge of rules and byelaws and I shall abide by them and shall pay the balance amount, from time to time.

3. I am a land lord/ authorized tenant of the premises for which the connectio has heen desired. I hereby annex the following documents :—

(a) Sale deed/Sanad.

(b) Death Certificate, if so required.

(c) Plan in three copies.

(d) No Objection Certificate issued by the land lord (Not less than a stamp paper of Rs. 100/-).

(e) Government lessee (pattadar) Registered Agreement.

(f) Order of the competent court (if the applicant is a tenant).

I hereby declares that,—

(1) I am responsible for the authenticity of the documents which are submitted by me.

(2) I shall get done the work of connection through an agency/plumber . . . . . who has a license, issued from the Corporation.

(3) I shall seek a permission for road cutting from the related department, then only I shall get the water supply connection and so also I shall make a permanent brook for the waste water.

(4) I am agreed that responsibility of protection of meter installed by the Corporation is mine. If the meter is ruined, I shall inform the Corporation. I undertake to replace the meter within a period of one month from the date of receipt of bill.

(5) I understand that in case my meter is found ruined during the inspection and if I fail to replace the same, the concessionaire has right to disconnect my water supply connection. Removing and refixing of the meter shall be done after giving an information to the Corporation and the concessionaire.-

(Signature of the Applicant)

Date : . . . . . .

Name : . . . . . .

Address : . . . . . .

The applicant has signed in my presence—

KMC Engineer
Municipal Corporation, Khandwa.

Witness :

Name : . . . . . .

Signature : . . . . . .

Name : . . . . . .

Signature : . . . . . .

Signature of Plumber : . . . . . .
CONCESSIONAIRE

Dated : . . . . . / . . . . . / . . . . . .

License No. : . . . . . .

AGREEMENT TO BE ENTERED IN BETWEEN CORPORATION,
KHANDWA AND THE CONSUMER

(Amendable as per the rules and regulations of the Corporation.)

This agreement is entered in between Shri/Smt. . . . . (Name) and KMC Engineer for Corporation, Khandwa for water connection.

Shri/Smt. . . . . Address . . . . . District Khandwa and party No.1, the Corporation to KMC Engineer Corporation, Khandwa shall be called Party No.2 in this agreement.

I have read the agreement and agree to the rules and. conditions given there under :—

1. I/We agree with . the concessionaire/agent authorized by the Corporation for bringing into effect the bye-laws made by them.

2. I/We agree to pay the water charges determined by the Corporation.

3. If I/We could not pay the balance amount up to the period of two months, the Corporation shall have right to disconnect water connection without any information, for which I/We shall be responsible.

4. I/We agree that the Corporation/ Concessionaire which shall collect the revenue to the Collector, Khandwa is/are permissible to deduct the balance amount from my movable/Immovable property.

5. I/We agree that the very purpose for which I/we have taken the water connection shall use for the said purpose and if I/we am/are found misusing the water, then I/we shall be liable for double payment of the bill for the water consumed and Corporation, and the Concessionaire shall have right to disconnect my/our water connection.

6. I/we agree that from the date of receipt of the water charges bill I/we shall pay the same within a pericd of thirty days and if the said bill is not paid by me/us then one percent interest on the said amount per month shall be payable by me/us.

7. I/we take responsibility that,—

   (a) It shall my sole responsibility as a consumer towards the maintenance and repairs of the MDPE or GI pipe line laid by Corporation, from the ferule fixed for the water connection;

   (b) The service pipe line shall not be laid over drain or gutter;

   (c) In unavoidable circumstances if the service pipe line is laid through drains gutter the said pipe line shall be covered by an exterior air tight and water tight pipe or jacket or GI pipe equivalent to double the diameter of connection pipe line and I shall be responsible for any kind of water pollution in such circumstances.

   (d) If the service line having leakage and if the same is not been repaired by me then the Corporation or concessionaire shall have right to disconnect my water connection.

8. I/we agree that the average life of any pipe line is for 15 years. After 15 year or in case of damage of pipe line it shall be the responsibility of the consumer to change the same, I/we assure to do the same.

9. I/we agree that on my/our property if there shall be any balance pending payment is due I/we shall be responsible for the payment of such pending/unpaid Bills.

10. I/we agree that in my pipe line connection, I/we shall have to take a prior permission from Corporation/ Public Works Department/any other department for cutting/opening/digging, if in such a process if the possessions of Corporation or Public Works Department is damaged during the time of digging, I shall be responsible for making the payment of such damages.

11. I/we, am/are ready for making the payment of determined water charges.

12. I/we agree that if I/we breach any of the rules made by the Corporation, my water connection can. be disconnected at any time. In such a situation I will have to pay an amount of average bill based on the last three months.

13. I/we agree to pay the cost of disconnection or reconnection determined by the Corporation, or the concessionaire.

14. I/we agree that if the water supply meter is not available with the Corporation or the concessionaire, then l/we shall purchase the meter with such standards as determined by Corporation.

15. I/we agree that to maintain the meter in good/running condition shall be mine/ our responsibility. If the Corporation or concessionaire find that the seal of water meter is damaged or deliberately the meter ceased by me/us, then the Corporation shall have a right to disconnect the water supply connection and the maintenance charge of the water meter shall be paid by me/us.

16. I/we agree that if the meter is found to be ceased more than three months then, I/we shall have to pay the maximum average or flat rate Bill which is maximum.

17. I/we agree that for the safety of water meter I/we shall construct a room of bricks and cement on my/our own cost.

18. I/we agree that the cost of amount of installation of meter shall be paid by me/us in one slot.

19. I/we agree that the Corporation and Concessionaire shall have the right to inspect the water meter any time in day hour.

20. I/we agree that in case of any complaint or objection, I/we shall pay the pending bill first and after redressal of such complaint the extra payment made by me/us shall be adjusted in the forthcoming bill.

21. I/we agree that I/we shall not take water from the pipe line by a motor pump, if the Corporation or concessionaire finds the water. pump motor in connection with the pipe line they shall have right to disconnect the water connection. If because of water pump motor the water meter is ruined I/we shall be liable for payment of maintenance / repair charges towards the concessionaire.

22. I/we agree that without any prior permission of Corporation/concessionaire I/we shall not change or replace anything in the pipe line. If it is found so by the Corporation for concessionaire, in such a case they shall have right to disconnect the water connection.

23. If during the inspection the meter is found out of order, then upto the time the said meter is replaced and installed again the reading according to the maximum consumption of water in the previous Bill shall be charged from the consumer if,—

(1) 5% slow or fast, at the actual consumption;

(2) On the average reading of previous or forthcoming Bill;

(3) On the flowing capacity of the connection considering' its size, length of hours of supply etc., but not exceeding the double of the monthly consumption recorded during past twelve months.

Signature of consumer

KMC Engineer
Municipal Corporation Khandwa

Directions for the new colonies :—

1. The new colonies which have got permission or have the certificate of development in their favour, the Colonizers of such colony shall have to take individual connections on every plot and a water meter shall also be installed on such plots/houses compulsorily. The Colonizer has to pay such cost of pipe line borne by him for distribution to the respective plots. the same pipeline can be extended to the other colonies, the Corporation shall have right for the same.

2 In accordance with the provisions of Madhya Pradesh Nagar Palaik Nigam Adhiniyam, 1956 (No. 23 of 1956) and rules made thereunder as well as per the provisions of Colonizers rules. if any, It shall be the minimum requirement for the colonizer to construct a over head tank for water supply. As the said water supply scheme is being operated, therefore the colonizers shall construct an overhead tank or otherwise he has to deposit the amount of construction of tank, boring in the office of Municipal Corporation. For the construction of such tank, the colonizer has to transfer a piece of land to the Municipal Corporation, Khandwa.

By order and in the name of the Governer of Madhya Pradesh,
K.K. KATIYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.